FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

[न्याय]ालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

पूरणमल बनाम भंवरलाल वगैरह

मुकदमा दावा मुकदमा नं. 15/2020 सन् 2020

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
4/2/20	वादी की ओर से वकील श्री रामअवतार बिजारणियां ने वादपत्र पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता ली गयी। वादपत्र दर्ज रजि० किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर मिसल दिनांक 10/2/20 को पेश हो। [signature]	
10/2/20	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। प्रतिवादी सं० 1 व 2 की ओर से वकील श्री कन्हैयालाल जांगिड़ ने वकालतनामा पेश किया। वकील प्रतिवादीगण ने जवाब नहीं दिया। आदेश बहस हेतु निवेदन किया। बहस श्रवण पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि भूमि खसरा नं० 302 रकबा 6.75 हे० किस्म [illegible] खा० चराई तन ग्राम भैरासर मय [illegible] [signature]	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) में अवस्थित है इस वाद ग्रस्त भूमि खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है तथा यह भूमि पशु चराई के नाम आरक्षित है वाद ग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी स०1व2 का कोई सम्बन्ध/सरोकार नहीं है जो ग्र. मालियों की के लोग है जो वाद ग्रस्त भूमि पर जे.सी.बी मशीन लगाकर खुदी खुदाई कर रहे हैं तथा मौके पर अवैध अतिक्रमण करके, अवैध निर्माण कर रहे हैं। प्रतिवादी स०3 भी प्रतिवादी स०1व2 से मिला हुआ है वे प्रतिवादी स०1व2 का अतिक्रमण में सहयोग कर रहा है इस लिए वादी द्वारा वाद लाना आवश्यक हुआ। अत: प्रतिवादी स०1व2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जावे कि वाद ग्रस्त भूमि ख०न० 302 रकबा 0.75 हेक्टेयर ग्राम गैरा लुहारवास तहसील खण्डेला में अतिक्रमण न करें। ना ही खुदी खुदाई करें। जबाव में प्रतिवादी स०1व2 के अधिवक्ता ने वकील वादी के कथनों का विरोध करते हुए वादी का वाद [signature]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय [illegible]	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया।	

हमने बहस वकील वादी व वकील
प्रतिवादी सं० 1 व 2 की सुनी। पत्रावली
व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य रिकॉर्ड
का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त
भूमि राजकीय भूमि है। राजकीय भूमि
पर अतिक्रमण किया जाना व खुर्दबुर्द
खुर्द किया जाना उचित नहीं है।
अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य
पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है
तथा वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 को
जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया
जाता है कि वादग्रस्त भूमि ख०न०
302 रकबा 6.75 हे० किस्म पटपड़ का०
चराई तन ग्राम मेरा मय लुहारवास तहसील
खण्डेला, जिला सीकर में किसी प्रकार
का अतिक्रमण नहीं करे तथा नाही
खुर्दबुर्द करे। तहसीलदार खण्डेला
को आदेश दिया जाता है कि उक्त
वादग्रस्त भूमि पर हो रहे अतिक्रमण
को रोके। डिक्री जारी हो। तहरीर अधि तहसीलदार को

(signature)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	जारी हो। पत्रावली फैसला अनुसार होकर नकल से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (रणजीत सिंह) RAS उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)